न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

(श्री सुभाष चन्द शर्मा,आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रा0पत्र संख्या :– 25/2009
निर्णय दिनांकः– 26.2.2016

उनवान

कल्याण पुत्र बिशना जाति नाथ निवासी देवली तहसील उनियारा जिला टोंक

–प्रार्थी

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर टोंक राज0
3.तहसीलदार उनियारा जिला टोंक
3.रामधन पुत्र श्योजी जाति नाथ निवासी देवली तहसील उनियारा जिला टोंक

–प्रतिपक्षीगण

दावा बाबत उदघोषणा, दु0 इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा
प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः श्री आर0 के0 सैनी , वकील प्रार्थी
श्री दिनेश मोरवाल वकील प्रतिपक्षी न0 3

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि साबिका आराजी ख0न0 1014 रकबा 3 बीघा एवं ख0न0 016 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा पर प्रार्थी का गत 40–50 वर्षो से निर्विवाद एवं निर्विघ्न रूप से कब्जा काश्त होने से भू आवंटन सलाहाकार समिति टोंक द्वारा दिनांक 28.5.1982 को आवंटित की जाकर सुपुर्द कर दी गई थी। जिसकी आवंटन राशि भी जमा करवा दी गई थी। आज भी प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त आराजी के हाल ख0न0 1243, 1244, 1245, 1246, 1247 कुल किता 5 कुल रकबा 1.03 है0 बने है। जिसे प्रार्थी के गैर खातेदारी मे दर्ज न कर गलत रूप से सिवायचक मे दर्ज कर दिया गया। जिसका सेटलमेन्ट विभाग को कोई हक व अधिकार नही है। उक्त आराजीयात पर प्रार्थी का कब्जा मुखालिफाना भी हो चुका है। प्रार्थी उक्त आराजी की खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी हो चुके है। राजस्व रेकार्ड मे उक्त आराजी सिवायचक होने से प्रतिपक्षी न0 2 के मातहत कर्मचारी उक्त वर्णित आराजी से प्रार्थी को बेदखल करने व सिविल जैल भिजवाने की धमकी देते है।

यह की प्रार्थी की अधियाचना है कि प्रतिपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वह ख0न0 1243, 1244, 1245, 1246, 1247 कुल किता 5 कुल रकबा 1.03 है0 वाके ग्राम देवली तहसील उनियारा मे किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नही करे ना प्रार्थी को बैदखल करे।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

Scanned by CamScanner

प्रतिपक्षी न0 3 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि प्रार्थी का उक्त भूमि पर कभी कब्जा काश्त नही रहा और ना ही आवंटन शर्तो की पालना की गई है। प्रार्थी के गैर खातेदारी का नामान्तरकरण भी नही खुला। उक्त भूमि पर वर्षो से प्रतिपक्षी न0 3 का कब्जा काश्त है। कब्जे के अभाव मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

उभय पक्षों के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया गया। जब प्रार्थी को वादग्रस्त आराजी दिनांक 28.5.82 को ही आवंटित हो गई थी तो प्रार्थी ने उक्त आराजी इतने लम्बे समय से खातेदारी अथवा गैर खातेदारी मे दर्ज करवाने की कार्यवाही क्यों नही की गई। प्रतिपक्षी न0 3 ने वादग्रस्त आराजी पर अपना कब्जा काश्त होना जाहिर किया है। मूल वाद मे साक्ष्य व सबूत आने पर ही तय हो सकेगा की वादग्रस्त आराजी किसके कब्जे काश्त मे है। प्रार्थी द्वारा आवंटन शुदा राशि जमा कराने का उल्लेख किया है, परन्तु राशि जमा कराये जाने की रसीदे पेश नही की है। वादग्रस्त आराजीयात वर्तमान मे सिवायचक काबिल काश्त दर्ज है। राजस्व रिकार्ड मे भूमि सिवायचक दर्ज होने से प्रतिपक्षी न0 2 द्वारा नियमानुसार राज0 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के तहत कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित नही समझता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 26.2.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाय गया।

सुभाषचन्द शर्मा
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा

Scanned by CamScanner